"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 312] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 10, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/29/2011/वाक/पांच (53).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा,—

संशोधन

उक्त कथित नियमों में,—
(एक) नियम 20 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख) में वर्तमान परंतुक के पश्चात् निम्न परंतुक जोड़ा जाए,—

"परन्तु और, 31 मार्च, 2009, 31 मार्च, 2010 एवं 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये ऐसे व्यापारी जिनका सकल वार्षिक टर्नओव्हर रु. चालीस लाख से कम है, के द्वारा प्रारूप-18 में विवरणी तथा 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये ऐसे व्यापारी जिनका सकल वार्षिक टर्नओव्हर रु. चालीस लाख से अधिक है, के द्वारा प्रारूप-18 में विवरणी तथा धारा 41 की उपधारा (2) के अधीन आडिट रिपोर्ट प्रारूप-50 में 15 मार्च, 2012 तक प्रस्तुत की जाएगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2011

क्रमांक एफ-10/29/2011/वाक/पांच (53).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/29/2011/वाक/पांच (53), दिनांक 01-12-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 1st December 2011

NOTIFICATION

No. F-10/29/2011/CT/V(53).—In exercise of the powers conferred by Section 71 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006, namely,—

AMENDMENT

In the said rules,—

(1) After the present proviso in clause (b) of sub-rule (2) of rule 20, the following proviso shall be inserted,—

"Provided further that, statement in form-18, by the dealer whose annual turnover is less than rupees forty lac for the year ending 31st March, 2009, 31st March, 2010 and 31st March, 2011 and statement in form-18, along with audit report in form-50 under sub-section (2) of section 41 by the dealer whose annual turnover is more than rupees forty lac, for the year ending 31st March, 2011 shall be furnished up to 15th March, 2012."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.